24.5.18 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट इन्द्रपुरा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादपत्र में अंकित भूमि की खातेदारी मंदिर श्री ओंकार जी महाराज की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकरण में प्रतिवादीगण क्रं. 1 से 3 को रास्ता आदि नहीं डालने हेतु पाबन्द करवाना चाहता है। वादी को कोई विधिक अधिकार नहीं बनता है कि वह बिना उचित प्रक्रिया के राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को पाबन्द करवावे। प्रकरण के पूर्व धारा 80 CPC का नोटिस दिया जाना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया। इस प्रकार प्रस्तुत वादपत्र आधारहीन होने तथा विधि विरुद्ध होने से खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादपत्र आधारहीन एवं विधि अनुरूप नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.5.18 को कैम्प कोर्ट इन्द्रपुरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner